भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने **गुजरात के आणंद** में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो भारत का **पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय** है। यह पहल सरकार की **'सहकार से समृद्धि'** (सहकारिता के माध्यम से समृद्धि) की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य **शिक्षा के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना** है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)

- **परिचय: त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)** का नाम **त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल** के नाम पर रखा गया है, जो भारत के **सहकारी इतिहास के एक प्रमुख व्यक्तित्व** और **अमूल के संस्थापक** थे। उन्होंने **सरदार वल्लभभाई पटेल** के साथ मिलकर **वर्ष 1946 से गुजरात में सहकारी आंदोलन को दिशा देने** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विश्वविद्यालय को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना** है, जिसके तहत **सहकारी प्रबंधन, लेखांकन, वित्त, विपणन, सहकारी कानून** और **ग्रामीण विकास** जैसे क्षेत्रों में **डिग्री, डिप्लोमा तथा पीएचडी पाठ्यक्रमों** की पेशकश की जाएगी, ताकि एक **प्रशिक्षित एवं कुशल कार्यबल** तैयार किया जा सके।
    - इसका लक्ष्य **5 वर्षों में 20 लाख से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करना** है, जिसमें **डेयरी, मत्स्यपालन** और **कृषि ऋण सहकारी समितियों** जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
    - **एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास (R&D) परिषद** की स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य **नवाचार को प्रोत्साहित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना** और **ग्रामीण सहकारी संस्थानों में श्रेष्ठ प्रथाओं को बढ़ावा देना** होगा।

भारत में सहकारी क्षेत्र:

- यह क्षेत्र ऐसे **सदस्य-स्वामित्व वाले संगठनों** को शामिल करता है, जो **आपसी सहायता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण** के माध्यम से **सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिये मिलकर कार्य करते हैं। यह **ग्रामीण विकास** और **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के तहत **अनुच्छेद 19(1)(c)** में संशोधन कर **सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार** को **मौलिक अधिकार** बना दिया गया।
- यह क्षेत्र मुख्य रूप से **सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912** और **बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002** द्वारा संचालित होता है।
    - **MSCS (संशोधन) अधिनियम, 2023** का उद्देश्य **बहु-राज्य सहकारी समितियों** में **सुशासन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता** को मज़बूत करना है।

और पढ़ें: भारत का सहकारिता क्षेत्र

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-first-national-cooperative-university